न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–36 / 2015–16

अखिलेश रविदास बनाम विजेन्द्र रविदास

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आदेश इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के पत्रांक 380 दिनांक 08.05.2015 से प्राप्त अंचलाधिकारी, पुनपुन के जमाबंदी रद्द वाद सं0 01 / 2008–09 के आलोक में आरम्भ की गई है। **अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:–** (1) मौजा–मनोरा, थाना नं0–57, खाता नं0–132 खेसरा नं0 85 / 1213 रकवा 30डी0 भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक मकान मय सहन बकब्जे बदरी वल्द अकलू, कौम चमार दर्ज है। (2) लगान निर्धारण वाद सं0 26 / 1977–78 के द्वारा विजेन्द्र रविदास के नाम से 28 डी0 भूमि का लगान निर्धारण किया गया है। वर्ष 1977 से विजेन्द्र रविदास के नाम से लगान रसीद निर्गत हो रही है। (3) विजेन्द्र रविदास का खतियानी रैयत से कोई सम्बन्ध नहीं था। गलत दस्तावेजों के आधार पर विजेन्द्र रविदास के द्वारा अपने नाम से लगान निर्धारण कराकर जमाबंदी कायम करवा ली गयी है। (4) अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा विजेन्द्र रविदास के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव भेजा गया है। अभिलेख में भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के द्वारा भी अंचलाधिकारी, पुनपुन के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है। **इस न्यायालय में अखिलेश रविदास के द्वारा उपस्थित होकर कहा गया कि :–** (1) खतियानी रैयत बदरी दास, अखिलेश रविदास के परदादा थे। बदरी दास के द्वारा पूर्व में मालगुजारी रसीद कटाई जाती थी, परन्तु वर्ष 1977–78 में विजेन्द्र रविदास के द्वारा गलत दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम से जमाबंदी करवा ली गयी। (2) पूर्व अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा अपने पत्रांक–XV-14/01-681 दिनांक–05.06.2007 में स्पष्ट किया गया है कि विजेन्द्र रविदास का खतियानी रैयत बदरी दास से कोई सम्बन्ध नहीं है। (3) अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0 01 / 2008–09 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूखण्ड के लिए कायम विजेन्द्र रविदास की जमाबंदी को रद्द करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा भी अनुशंसा की गयी है। (4) प्रश्नगत भूखण्ड के लिए विजेन्द्र रविदास की कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया। **विजेन्द्र रविदास का कथन है कि**	

(1) प्रश्नगत भूमि मौजा–मनोरा, थाना नं0–57, खाता नं0 132 खेसरा नं0 85/1213 रकवा 30डी0 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक मकानमय सहन बकब्जे बदरी चमार वल्द अकलु चमार दर्ज है। विजेन्द्र रविदास खतियानी रैयत बदरी चमार के वंशज है।

(2) बदरी चमार की मृत्यु निःसंतान हो गयी। बदरी चमार की मृत्यु के उपरान्त विजेन्द्र रविदास के पिता राम लगन दास प्रश्नगत भूखण्ड पर उतराधिकारी के रूप में दखल में आये, इस बात की पुष्टि वाद सं0 437(सी)/1964 में मुखा गोप पिता बिलट की गवाही से होती है।

(3) अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के द्वारा इस वाद सं0 966(एम) वर्ष 1964 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूखण्ड पर विजेन्द्र रविदास के पिता राम लगन दास का दावा मान्य किया गया है।

(4) सीमांकन वाद सं0 29/1964–65 के प्रतिवेदन में भी प्रश्नगत खेसरा सं0 85/1213 का वर्णन किया गया है।

(5) प्रश्नगत खेसरा के एक–एक डी0 पर विजेन्द्र रविदास के चाचा रामचन्द्र दास एवं देवचरण दास मकान बना कर रह रहे है। शेष 28डी0 विजेन्द्र रविदास के कब्जे में है, जिस पर मकान एवं दालान निर्मित है।

(6) प्रश्नगत भूखण्ड बेलगान थी, जिसके लगान निर्धारण हेतु अंचलाधिकारी, पुनपुन को आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा वाद सं0 26/1977–78 के अन्तर्गत विधिवत जांचोपरान्त दखल–कब्जा के आधार पर विजेन्द्र रविदास के नाम से लगान निर्धारण की स्वीकृति दी गयी। तभी से प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी विजेन्द्र रविदास के नाम से कायम है तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है।

(7) विजेन्द्र रविदास के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अंचलाधिकारी, पुनपुन को पूर्व में आवेदन दिया गया था। विविध वाद सं0–$\frac{1}{1}$ वर्ष 1982–83 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा दिनांक 14.06.1983 को आदेश पारित किया गया कि उन्हें लगान निर्धारण वाद में पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आवेदक सक्षम न्यायालय में आवेदन दायर कर सकते है।

(8) झरी रविदास जो अखिलेश रविदास के पिता है, के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में विविध अपील वाद सं0 02/1983–84 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा विपक्षी की अनुपस्थिति में दिनांक 04.11.1986 को आदेश पारित करते हुए अंचलाधिकारी, पुनपुन के दिनांक 06.10.1977 एवं 14.06.1983 के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

(9) विजेन्द्र रविदास की जमाबंदी वर्ष 1977 से कायम है। इतने वर्षो से कायम जमाबंदी को राजस्व न्यायालय से रद्द नहीं किया जा सकता।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

1. प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक मकानमय सहन बकब्जे बदरी वल्द अकलू कौम चमार दर्ज है। अखिलेश रविदास स्वंय को बदरी चमार का परपोता बताते हैं, जबकि विजेन्द्र रविदास बदरी चमार को नावल्द बताते है। पारिवारिक वंशावली पर भी विवाद है। बदरी चमार के निःसंतान होने तथा वंशावली पर विवाद का निर्णय सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही किया जा सकता है।

2. प्रश्नगत [illegible] निर्धारण वर्ष 1977 में अंचलाधिकारी, पुनपुन के [illegible] पक्ष में कर दिया गया। अंचलाधिकारी, पुनपुन के [illegible] वाद सं0 $\frac{26}{1}$/1977–78 में दिनांक 06.10.1977 को [illegible] झरी रविदास के द्वारा अंचलाधिकारी, पुनपुन का [illegible] विविध वाद सं0 $\frac{1}{1}$ वर्ष 1982–83 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा दिनांक 14.06.1983 को यह कहते हुए आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया कि उन्हें पूर्व में पारित आदेश पर पुर्नविचार करने का अधिकार नहीं है। आवेदक लगान निर्धारण वाद सं0 $\frac{26}{1}$ वर्ष 1977–78 में पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते है।

3. इस वाद के पक्षकार अखिलेश रविदास के पिता झरी रविदास के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में विविध वाद सं0 02/1983–84 झरी रविदास बनाम विजेन्द्र रविदास दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा विविध वाद सं0 02/1983–84 में दिनांक 04.11.1986 को आदेश पारित करते हुए लगान निर्धारण वाद सं0 $\frac{26}{1}$ वर्ष 1977–78 में दिनांक 06.10.1977 को पारित आदेश तथा विविध वाद सं0 $\frac{1}{1}$ वर्ष 1982–83 में दिनांक 14.06.1983 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा जमाबंदी सुधार का प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।

4. भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दिनांक 04.11.1986 को जब लगान निर्धारण संबंधी दिनांक 06.10.1977 का आदेश निरस्त कर दिया गया तथा उक्त आदेश के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण अपील नहीं की गयी, तो दिनांक 04.11.1986 का उक्त आदेश अंतिम हो गया। दिनांक 04.11.1986 के उक्त आदेश से विजेन्द्र रविदास की जमाबंदी स्वतः निरस्त मानी जायेगी। दिनांक 04.11.1986 के उक्त आदेश के बाद विजेन्द्र रविदास के नाम से लगान रसीद निर्गत नहीं की जानी चाहिए थी।

सम्यक विचारोपरान्त मैं यह मानता हूँ कि विविध वाद सं0 02/1983–84 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दिनांक 04.11.1986 को पारित आदेश के प्रभाव से विजेन्द्र रविदास की जमाबंदी समाप्त हो चुकी थी, जिसे बरकार रखना उचित एवं विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड के लिए विजेन्द्र रविदास के नाम से कायम जमाबंदी को निरस्त करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, पुनपुन को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	(वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना